छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

संपदा प्रबंधन शाखा

// परिपत्र //

क्रमांक 1-41..../2012 रायपुर दिनांक 07.01.12

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश में विभिन्न शहरों में आवासीय भवन निर्मित किये गये है। इन भवनों को मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों को आबंटित किया गया है। हितग्राहियों द्वारा मण्डल से अंतिम आबंटन आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर या मण्डल द्वारा नियत तिथि तक भवन के विरूद्ध अंतिम मूल्य निर्धारण अनुसार शेष राशि जमा किया जाता है। अंतिम राशि जमा होने के पश्चात् हितग्राहियों को भवन का आधिपत्य आदेश संपदा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 15 दिवस के भीतर हितग्राही को भवन का आधिपत्य संबंधित सहायक अभियंता से प्राप्त करना होता है।

प्रायः देखा गया है कि मण्डल द्वारा आधिपत्य आदेश जारी होने के कई दिनों/महिनों बाद भी हितग्राहियों द्वारा भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जाता है, जिससे भवन में टूट–फुट, भवन के लगे सामाग्री की चोरी तथा अधिक समय तक रिक्त रहने पर भवन क्षतिग्रस्त होता है, ऐसी स्थिति में जब हितग्राही भवन का आधिपत्य लेने आता है, तब मण्डल अपनी निधि से भवन को सुधार कर हितग्राही को सौंपता है। जिससे मण्डल पर अनावश्यक रूप से वित्तीय भार पड़ता है।

अतः ऐसे प्रकरणों में जिसमें मण्डल द्वारा हितग्राही को आधिपत्य आदेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर हितग्राही द्वारा भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जाता है, तो संपदा अधिकारी द्वारा भवन का आबंटन आदेश निरस्त किया जाता है, निरस्तीकरण पश्चात् हितग्राही द्वारा निरस्त आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31 वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या कमांक – 10 पर पारित संकल्प कमांक 859–10/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा परिपत्र कमांक 02 दिनांक 14.03.2011 जारी कर, आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु भवन के विकय मूल्य का 5 प्रतिशत राशि दण्ड भार के रूप में लिया जा रहा हैं ।

क्रमशः 2

मण्डल के 34वॉ सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 के पद संख्या 35 के संकल्प क्र0.952–35/34/12/2011 के अनुसार निर्णय लिया गया है कि, मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु निम्नानुसार दण्डभार राशि लिया जाए :–

क्रमांक	भवन का प्रकार	भवन का मूल्य	दण्ड भार राशि
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन	—	राशि रू. 5,000/–
2.	एल.आई.जी. भवन	—	राशि रू. 10,000/–
3.	एम.आई.जी. भवन	रू. 20.00 लाख मूल्य तक	राशि रू.40,000/–
		रू. 20.00लाख मूल्य से उपर	राशि रू.50,000/–
4.	एच.आई.जी. भवन	रू. 40.00 लाख मूल्य तक	राशि रू. 80,000/–
		रू. 40.00 लाख से रू. 50.00 लाख मूल्य तक	राशि रू.1,00,000/
		रू. 50.00 लाख मूल्य से उपर	राशि रू.1,50,000/–

परिपत्र क्र0.–2 दिनांक 14.03.2011 को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। संशोधित परिपत्र के जारी होने के पूर्व निराकृत प्रकरणों को पुनः न खोला जावें। यह परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

(सोनमणि बोरा)
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
& रायपुर

पृ.क्र. 11 /आ.आ/स्था./12 रायपुर,दिनांक 7/1/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
2. निज सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त–I(योजना)/उपायुक्त–II (विकास)छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय, रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग –1/2/3/4 रायपुर/ राज0परि0संभाग–1/2रायपुर/परि0सं0दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/ जगदलपुर/रायगढ़/कोरबा ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
& रायपुर